राज्य (सीबीआई/नई दिल्ली के माध्यम से)

बनाम

एस. जे. चौधरी

मार्च 22, 1990

(एस. रत्नवेल पांडियान, न्यायाधीश और के. जयचंद्र रेड्डी, न्यायाधीश)

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872: एस. 45-टाइपस्क्रिप्ट विशेषज्ञ की राय -क्या साक्ष्य में स्वीकार्य है-प्रश्न को वृहत न्यायपीठ को संदर्भित किया गया।

छलावरण जीवित हथगोला युक्त एक उपकरण पार्सल पत्र पानेवाले के हाथों में विस्फोट हो गया जिसके परिणामस्वरूप उसकी तत्काल मृत्यु हो गई। पुलिस ने घटना स्थल से उस कागज के टाइप किए हुए टुकड़े एकत्र किए जिसमें ग्रेनेड लपेटा गया था और उन्हें केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में भेज दिया जहां वे मृतक के नाम और पते को आंशिक रूप से फिर से बनाने में सफल रहे। फिर उक्त प्रयोगशाला में दस्तावेज़ विभाग के प्रमुख द्वारा वाणिज्यिक महाविद्यालय से लिए गए टाइपिंग प्रिंटों के नमूने के संदर्भ में इनकी जांच की गई, जहां पर उन्हें टाइप किए जाने का आरोप लगाया गया था। उन्होंने कहा कि समानताओं और विषमताओं के संतुलन पर यह यह निष्कर्ष निकालना उचित होगा कि पार्सल के आवरण पर चिपकाई गई पर्ची पर पाए गए

टाइपस्क्रिप्ट कॉलेज की एक मशीन से टाइप किए गए थे क्योंकि दोनों की छाप समान थी।

मुकदमे में अभियोजन पक्ष तथ्य को साबित करने के लिए उक्त विशेषज्ञ से पूछताछ करना चाहता था। बचाव पक्ष ने इस आधार पर इसका विरोध किया कि इस तरह के टाइपराइटिंग विशेषज्ञ का साक्ष्य भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 45 के तहत अस्वीकार्य था क्योंकि यह इसके दायरे में नहीं आता था। निचली अदालत ने हनुमंत और अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य, [1952] एस. सी. आर. 1091 में उस प्रभाव की टिप्पणियों पर भरोसा करते हुए प्रार्थना को खारिज कर दिया। उच्च न्यायालय ने राज्य की पुनरीक्षण याचिका को आरम्भ में ही खारिज कर दिया।

राज्य द्वारा की गई अपील में यह निवेदन किया गया कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 45 में जिस विज्ञान शब्द का उल्लेख किया गया है, वो प्रतिलिपि के संबंध में एक विशेषज्ञ की राय को शामिल करने के लिए और साथ ही विज्ञान की प्रगति को देखते हुए भी पर्याप्त हो इतना विस्तृत होना चाहिए।

इस मामले को वृहत पीठ को संदर्भित करते हुए, न्यायालय ने कहा: समय के साथ, फोरेंसिक विज्ञान के क्षेत्र में तेजी से विकास हुआ है और वैज्ञानिक ज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण की उक्त प्रगित से मेल खाना अनिवार्य हो गया है। इस मामले में सवाल यह है कि क्या टाइपस्क्रिप्ट के संबंध में किसी विशेषज्ञ की राय क्या साक्ष्य अधिनियम की धारा 45 के दायरे में आएगी इसकी विस्तार से जांच की जानी चाहिए

और एक वृहत पीठ द्वारा निर्णय लिया जाना चाहिए क्योंकि के मामले में निर्णय तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा दिया गया था। [130 डी, जी]

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील 461/1987

आपराधिक पुनरीक्षण सं. 105/1987 में दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांकित 20.5.1987 से।

अशोक देसाई, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, पी. के. चौबे, जी. वेंकटेश राव, सुश्री ए. सुभाशिनी और पी. के. चौधरी अपीलार्थी की ओर से।

प्रतिवादी के लिए आर. के. गर्ग, जे. पी. पाठक और पी. एच. पारेख।

न्यायालय का निर्णय एस. रत्नवेल पांडियान, न्यायाधीश द्वारा दिया गया था।

सी. बी. आई. नई दिल्ली द्वारा प्रतिनिधित राज्य ने इस अपील को आपराधिक पुनरीक्षण सं. 105/1987 में दिल्ली उच्च न्यायालय के उस निर्णय और आदेश दिनांकित 20.5.1987 के विरुद्ध निर्देशित किया है जिसमें याची की याचिका को आरम्भ में ही खारिज कर दिया गया। जिन प्रासंगिक तथ्यों ने इस अपील को जन्म दिया है, उन्हें इस प्रकार कहा जा सकता है:

प्रतिवादी, एस. जे. चौधरी पर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, नई दिल्ली के समक्ष वाद संख्या 36/1983 में आई पी सी 302 और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत अपराधों के लिए विचारण चल रहा है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, इस मामले में मृतक कृष्ण सिकंद ने 2.10.1982 को शाम करीब 5:45 बजे उन्हें संबोधित एक पार्सल प्राप्त किया। छलावरण की हुई सामग्री से अनजान होने के कारण मृतक ने पार्सल खोला जो खुलने पर फट गया जिसके परिणामस्वरूप उसकी तुरंत मौत हो गई। इस घटना के संबंध में, हजरत निजामुद्दीन पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी संख्या 305 दिनांकित 2.10.1982 के रूप में एक मामला दर्ज किया गया था। उक्त थाना पुलिस ने जांच शुरू कर दी थी। इसके बाद, जांच को अगले ही दिन अपराध शाखा, दिल्ली को स्थानांतरित कर दिया गया, यानी 3.10.1982 को और अंत में मार्च 1983 में केंद्रीय जांच ब्यूरो को स्थानांतरित कर दिया गया, जहां इसे आरसी 3/83-सीबीआई/डीएसपीई/सीआईयुआई (पी)/नई दिल्ली के रूप में दर्ज किया गया। प्रतिवादी/अभियुक्त को सी. बी. आई. द्वारा 1.8.83 को गिरफ्तार किया गया था। न्यायालय के आदेशों के तहत, प्रतिवादी की हिरासत कुछ समय के लिए सीबीआई को सौंप दी गई थी। जाँचकर्ता को पूरा करने के बाद, सी. बी. आई. ने 28.10.1983 पर आरोप पत्र रखा।

वर्तमान में, अतिरिक्त अदालत के समक्ष मामले की सुनवाई लंबित है।

अगस्त, 1987 में दायर एस. एल. पी. में याचिकाकर्ता ने बताया कि अभियोजन पक्ष के 63 गवाहों से पूछताछ की गई है और पीडब्लू-64 कटघरे में है, प्रतिवादी ने अपने 21.2.1990 के हलफनामे में कहा है कि अब तक 67 गवाहों से पूछताछ की गई है।

जो भी हो, अभियोजन पक्ष के अनुसार उपकरण पार्सल का आवरण जिसमें छलावरण किया हुआ जीवित हथगोला था, पाया गया था मृतक कृष्ण सिकंद के टाइप किए हुए नाम और पते के साथ एक सफेद पर्ची पर चिपकाया गया था और हथगोला के विस्फोट के परिणामस्वरूप उक्त पर्ची सिहत सामग्री टुकड़ों में बिखर गई। पुलिस ने घटना स्थल के मलबे और अवशेषों से कागज के टाइप किए हुए टुकड़े एकत्र किए, जिसमें ग्रेनेड को बीच में लपेटा गया था, जिन्हें जांच और विशेषज्ञ की राय के लिए केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में भेजा गया था। प्रयोगशाला में, जांच एजेंसी द्वारा परीक्षण के लिए भेजे गए पार्सल को पीडब्लू-61, डॉ. जी. आर. प्रसाद, बैलिस्टिक डिवीजन के प्रमुख द्वारा 12.10.1982 को खोला गया था। उन्होंने पार्सल की सामग्री की जांच करते हुए पर्ची के बिखरे हुए टुकड़ों से मृतक के टाइप किए हुए नाम और पते को आंशिक रूप से फिर से बनाने में सफलता प्राप्त की।

अभियोजन पक्ष का कहना है कि 5.8.83 को जब प्रतिवादी अदालत के आदेश के अनुसार सी. बी. आई. की हिरासत में था, उसने एक स्वैच्छिक स्वीकारोक्ति की, जिससे इस तथ्य का पता चला कि उपरोक्त पार्सल पर पता उसके द्वारा एक वाणिज्यिक कॉलेज अर्थात् जनता कमर्शियल कॉलेज I-43, लाजपत नगर-II, नई दिल्ली से टाइप किया गया था।

जाँच एजेंसी ने उक्त कॉलेज में पाए गए 13 अंग्रेजी टाइपराइटरों से टाइपिंग प्रिंट का नमूना लिया। पुनः निर्मित टाइप किए गए पते और टाइप किये गए प्रिंट के नमूने की जांच श्री एस. के. गुप्ता, केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में दस्तावेज़

विभाग के प्रमुख द्वारा की गई। श्री एस. के. गुप्ता ने अपनी राय दी कि समानताओं और विषमताओं के संतुलन पर, यह निष्कर्ष निकालना उचित है कि घटनास्थल से मिले पार्सल के आवरण पर चिपकाई गई पर्ची पर पाए गए टाइपस्क्रिप्ट जनता कमर्शियल कॉलेज की एक मशीन से टाइप किए गए हैं क्योंकि दोनों की छाप समान हैं। अब अभियोजन पक्ष उपरोक्त तथ्य को साबित करने के लिए श्री एस. के. गुप्ता से एक विशेषज्ञ के रूप में पूछताछ करना चाहता है। श्री एस. के. गुप्ता से पूछताछ करने के अभियोजन पक्ष के इस अनुरोध का अभियुक्त के विद्वान वकील ने इस आधार पर कड़ा विरोध किया कि इस तरह के टाइपराइटिंग विशेषज्ञ का साक्ष्य भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 45 के तहत अस्वीकार्य था क्योंकि यह इसके दायरे में नहीं आता था। आक्षेपित आदेश से ऐसा लगता है कि दोनों पक्षों द्वारा अदालत में कई फैसलों को उद्धृत किया गया था लेकिन विचारण न्यायालय ने हनुमंत और अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य, [1952] एस. सी. आर. 1091 में इस अदालत द्वारा की गई कुछ टिप्पणियों के आधार पर अभियोजन पक्ष की प्रार्थना को खारिज करते हुए यह अभिनिर्धारित कि:

"यह दर्शाता है कि उच्चतम न्यायालय के माननीय न्यायाधीश का कहना था कि इस तरह के साक्ष्य को रिकॉर्ड पर नहीं लाया जा सकता है और न्यायालय द्वारा मूल्यांकन नहीं किया जाए। यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि अगर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को एक विशेष बिंदु पर कानून कि घोषणा करने का इरादा था तब भले

ही अवलोकन 'इतरोक्ति' हो, फिर भी वे उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालयों पर बाध्यकारी हैं।"

इन परिस्थितियों में, मैं अभियुक्त के वकील द्वारा उठाई गई आपित्तयों को बरकरार रखता हूं और आदेश देता हूँ कि श्री एस के गुप्ता, जिनका टाइप किए गए दस्तावेजों के एक विशेषज्ञ के रूप में परीक्षण करने की मांग की गई है का इस पड़ाव पर साक्ष्य देने के लिए परीक्षण नहीं किया जा सकता।

उच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेश से असंतुष्ट होने पर, यह अपील राज्य द्वारा दायर की जाती है।

इस मामले में उठे सवाल की उचित समझ और मूल्यांकन के लिए हनुमंत के मामले का प्रासंगिक भाग जिसके अवलोकन के बल पर उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय दिया को निम्न रूप से पुनः प्रस्तुत किया गया है:

"इसके बाद यह तर्क दिया गया कि पत्र कार्यालय टाइपराइटर पर टाइप नहीं किया गया था जो उन दिनों उपयोग में था यानि आर्ट. बी. और यह कि इसे टाइपराइटर आर्ट. ए पर टाइप किया गया था जो 1946 के अंत तक नागपुर नहीं पहुँचा। इस मुद्दे पर कुछ विशेषज्ञों के साक्ष्य का नेतृत्व किया गया था। उच्च न्यायालय ने सही अभिनिर्धारित किया कि ऐसे विशेषज्ञों की राय भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत स्वीकार्य नहीं थी क्योंकि वे धारा 45 के दायरे में

नहीं आते थे। उच्च न्यायालय के दृष्टिकोण का हमारे समक्ष विरोध नहीं किया गया। यह विचित्र है कि उच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश ने माना कि हालांकि विशेषज्ञ की राय अस्वीकार्य है, फिर भी आगे बढ़े, इसे पर विमर्श किया और उस पर कुछ निर्भरता रखी।"

हालांकि, दोनों पक्षों के वकीलों ने अपनी-अपनी दलीलों के समर्थन में निर्णयों की एक श्रृंखला का हवाला देते हुए लंबे तर्क दिये, हम प्रासंगिक के अलावा उन सभी तर्कों को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारा विचार है कि हनुमंत के मामले में अवलोकन को देखते हुए मामले की एक वृहत पीठ द्वारा गहन विश्लेषण और परीक्षण की आवश्यकता है।

विद्वान सोलिसिटर जनरल ने निवेदन किया है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 45 में आने वाले 'विज्ञान या कला' शब्द को व्यापक और उदार अर्थ दिया जाना चाहिए ताकि राय के निर्माण के लिए विशेष ज्ञान की सभी शाखाओं को शामिल किया जा सके, कि विज्ञान की प्रगति से, टाइपस्क्रिप्ट के संबंध में विशेषज्ञ के साक्ष्य ने महत्व ग्रहण कर लिया है, कि टाइपस्क्रिप्ट पर ऐसे विशेषज्ञ साक्ष्य को साक्ष्य अधिनियम की धारा 45 के दायरे में लाए गए अन्य विशेषज्ञों के साक्ष्य के बराबर माना जाना चाहिए, और इसलिए, श्री एस. के. गुप्ता की विशेषज्ञ राय को अस्वीकार्य मानकर दरिकनार नहीं किया जा सकता है। उनके अनुसार, हनुमंत के मामले (उपरोक्त) में इस न्यायालय के संक्षिप्त अवलोकन को इस न्यायालय पर बाध्यकारी 'निर्णय का औचित्य' या यहां तक कि इतरोक्ति के रूप में नहीं माना जा सकता है, लेकिन यह केवल एक

सरसरी अवलोकन है क्योंकि उस मामले में ऐसा कोई मुद्दा नहीं था कि क्या टाइपस्क्रिप्ट पर विशेषज्ञ की गवाही साक्ष्य अधिनियम के तहत स्वीकार्य थी या नहीं और परिणामस्वरूप उस विषय पर कानून की कोई चर्चा नहीं हुई थी और वास्तव में, टंकित किए गए दस्तावेजों के संबंध में किसी विशेषज्ञ की साक्ष्य की स्वीकार्यता के सवाल पर कोई विवाद नहीं था। उन्होनें दोहराया कि हनुमंत के मामले में निर्णय ने टाइपस्क्रिप्ट के संबंध में एक विशेषज्ञ की गवाही की स्वीकार्यता के संबंध में कानून घोषित नहीं किया है और विद्वान न्यायाधीशों ने उस पर कोई स्वतंत्र राय नहीं दी है। इस निवेदन के समर्थन में, सबसे पहले उन्होंने वुडरोफी एंड अमीराली'स लॉ ऑफ एविडेन्स के साक्ष्य में दिखाई देने वाले निम्नलिखित अंश की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया, जो इस प्रकार है:

"उच्चतम न्यायालय ने हनुमंत बनाम एम. पी. राज्य के मामले में निर्णय दिया है कि किसी विशेषज्ञ की राय कि कोई कतिपय पत्र किसी विशेष टंकण मशीन पर टाइप किया गया था, साक्ष्य अधिनियम की धारा 45 के दायरे में नहीं आता है और यह स्वीकार्य नहीं है। यह सम्मानपूर्वक निवेदन किया जाता है कि शोध सामग्री द्वारा कुछ हद तक इंगित किए गए आधुनिक ज्ञान के आलोक में विचार की आवश्यकता हो सकती है जो दर्शाती है कि टंकित किए गए दस्तावेजों की जालसाजी का पता लगाना ऐसे दस्तावेजों जिन

पर सवाल उठाया गया है से जुड़े विज्ञान का एक अभिन्न अंग बन गया है।

दूसरा, उन्होंने इस अदालत के संज्ञान में विधि आयोग की राय जो उसके द्वारा अपनी 69 वीं रिपोर्ट (खंड-IV) के अध्याय 17 जिसका शीर्षक 'विशेषज्ञ की राय' में दी गई है जिसमें विधि आयोग ने हनुमंत के मामले में निर्णय का उल्लेख करने के बाद इस प्रकार कहाः

17.26. इन टिप्पणियों को इस तरह देखा जा सकता है कि ये विषय पर एक निश्चित दृष्टिकोण नहीं देती। लेकिन शब्द "सही तौर पर अभिनिर्धारित" को नकारात्मक दृष्टिकोण को मंजूरी देने के रूप में माना जा सकता है।

17.31. इसलिए, हम अनुशंसा करते हैं कि धारा 45 में संशोधन किया जाना चाहिए ताकि टाइपिंग की पहचान को शामिल किया जा सके।"

विद्वान सॉलिसिटर जनरल के अनुसार, जैसा कि वुडरोफी एंड अमीराली द्वारा 'लॉ ऑफ एविडेन्स' और विधि आयोग द्वारा अपनी 69 वीं रिपोर्ट में देखा गया है, धारा 45 में आने वाले 'विज्ञान' शब्द को इतना व्यापक माना जाना चाहिए कि प्रतिलेखन के संबंध में एक विशेषज्ञ की राय को भी शामिल किया जा सके। लेकिन टंकित दस्तावेजों पर किसी विशेषज्ञ की गवाही की स्वीकार्यता या अन्यथा उस विषय पर उस विशेषज्ञ के विशेष कौशल और अनुभव के बारे में न्यायालय की संतुष्टि पर निर्भर करेगा। अंत में,

उन्होंने अनुरोध किया कि यह न्यायालय हनुमंत के मामले में सरसरी अवलोकन के बावजूद भी साथ टाइपस्क्रिप्ट पर एक विशेषज्ञ गवाही की स्वीकार्यता या अन्यथा के प्रश्न की विस्तार से जांच करे और इस विषय पर कानून निर्धारित करे।

श्री आर. के. गर्ग, प्रतिवादी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील ने जोरदार आग्रह किया कि हनुमंत के मामले में किए गए अवलोकन को सरसरी अवलोकन के रूप में खारिज या दरिकनार नहीं किया जा सकता है और यदि उस तर्क को इस न्यायालय द्वारा व्यक्त किए गए विचार को उक्ति के रूप में मानते हुए स्वीकार किया जाना है और हनुमंत के मामले में दृष्टिकोण की अनदेखी करते हुए इस विषय पर कानून घोषित करना यह कहने के समान होगा कि उस मामले में विद्वान तीन न्यायाधीशों द्वारा व्यक्त किए गए विचार को गलत तरीके से रखा गया है और इसलिए, विद्वान सॉलिसिटर जनरल के तर्क को ठुकरा देना चाहिए। मुकदमे की कार्यवाही जो पहले से ही इस मुद्दे पर काफी विलंबित है जो केवल अकादिमक है जहाँ तक इस मामले का संबंध है और इसलिए प्रत्यर्थी को अथाह कठिनाई का सामना नहीं करना चाहिए। उनके अनुसार, उच्च न्यायालय ने यह आक्षेपित आदेश केवल हनुमंत के मामले में अवलोकन के बल पर पारित किया है और अभियोजन पक्ष की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उसने श्री एस. के. गुप्ता की एक विशेषज्ञ के रूप में जांच करने की अनुमति मांगी थी, और इसलिए आक्षेप्त आदेश को न तो गलत कहा जा सकता है और न ही इसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता है। उन्होंने आगे कहा कि इस न्यायालय को इस न्यायालय के पिछले निर्णय से केवल इस आधार पर हल्के में असहमति नहीं व्यक्त करनी चाहिए कि

विपरीत दृष्टिकोण बेहतर प्रतीत होता है और समीक्षा की शक्ति का उपयोग उचित सावधानी और सतर्कता के साथ किया जाना चाहिए और वह भी आसपास की परिस्थितियों के आलोक में केवल जनता के कल्याण को आगे बढ़ाने के लिए।

इस निवेदन के समर्थन में, वह बंगाल इम्युनिटी कंपनी लिमिटेड बनाम बिहार राज्य और अन्य, [1955] 2 630 पर एस. सी. आर. 603 पर निर्भरता रखता है। वे यह कहना जारी रखते हैं कि इस न्यायालय को भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत अपने विवेकाधीन अधिकार क्षेत्र का प्रयोग केवल उन मामलों में करना चाहिए जहां प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन होता है, जिससे पक्षों के साथ काफी और गंभीर अन्याय होता है, या जो इस न्यायालय के स्पष्टीकरण और अंतिम निर्णय की आवश्यकता वाले कानून के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को उठाते हैं या जो ऐसी असाधारण या विशेष परिस्थितियों का खुलासा करते हैं जो किसी विशेष मुद्दे पर इस न्यायालय के विचार के योग्य हैं। अपने बाद के निवेदन के समर्थन में उसने बंगाल केमिकल एंड फार्मास्युटिकल वर्क्स लिमिटेड कलकत्ता बनाम उनके कर्मचारी, [1959] 2 पूरक 140 पर एस. सी. आर. 136 में इस न्यायालय के फैसले का हवाला दिया। अंत में, वह कहता है कि मामले के तथ्य और परिस्थितियों के मद्देनजर अपीलार्थी द्वारा किए गए अनुरोध के परीक्षण की जरूरत नहीं हैं।

इसमें शामिल कानून के प्रश्न पर अपना चिंताशील विचार करने के बाद, हम हनुमंत के मामले में किए गए अवलोकन पर इस पड़ाव पर कोई विचार व्यक्त किए बिना महसूस करते हैं कि टाइपस्क्रिप्ट पर एक विशेषज्ञ की राय की स्वीकार्यता के संबंध में प्रश्न की विस्तार से जांच की जानी चाहिए और निर्णय लिया जाना चाहिए। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि समय के साथ-साथ, फोरेंसिक विज्ञान के क्षेत्र में तेजी से विकास हुआ है और वैज्ञानिक ज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण की उक्त प्रगति से मेल खाना अनिवार्य हो गया है, यह सवाल कि क्या टाइपस्क्रिप्ट के संबंध में किसी विशेषज्ञ की राय साक्ष्य अधिनियम की धारा 45 के दायरे में आएगी, यह तय करना होगा। वास्तव में, जब इस मामले में एसएलपी अनुमति के लिए प्रस्तुत हुई, तो पीठ ने शामिल प्रश्न के महत्व को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित आदेश दियाः

"विशेष अनुमति दी गई।

चूँिक शामिल प्रश्न महत्वपूर्ण है और कई मामलों में शामिल है, यह वांछनीय है कि इसकी सुनवाई जल्द से जल्द की जाए, और उचित निर्देशों के लिए इस मामले का उल्लेख माननीय मुख्य न्यायाधीश को किया जाए।"

इस मामले के समग्र दृष्टिकोण को देखते हुए, हम महसूस करते हैं कि यह महत्वपूर्ण है इस मामले में शामिल कानून के प्रश्न की विस्तार से जांच की जानी है और एक वृहत पीठ द्वारा निर्णय लिया जाना है क्योंकि हनुमंत के मामले में निर्णय इस न्यायालय के तीन विद्वान न्यायाधीशों द्वारा दिया गया था। चूंकि मामला अत्यावश्यक है, इसलिए इसे जल्द से जल्द सुनवाई के लिए रखा जाये ताकि मामले की सुनवाई में और देरी नहों।

पी. एस. एस.

अपील वृहत पीठ को संदर्भित की गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक अशोक कुमार मीना द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।